कार्यालय संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।

दिनांक 27.05.2019

तहसील रानीखेत ग्राम चापड़, क्षेत्र स्यालीखेत अन्तर्गत वर्षाकाल में कोसी नदी में अधिक जल प्रवाहित होने से नदी के दोनो किनारों के ओर स्थित आबादी क्षेत्र तथा कृषि भूमि, बाढ़ के कारण भूकटाव से प्रभावित होने के दृष्टिगत उक्त स्थान पर कोसी नदी के मध्य भाग में चैनेलाइज तथा मलवे के उठान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति–2016 यथा संशोधित 2018 के द्वारा गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0 4736/तीस–09/ए0जे0ए0/2018–19, दिनांक 02–03–2019 के द्वारा आपदा प्रबन्धम अधिनियम–2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनहित में उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति तथा सुसंगत नियमों के तहत उक्त स्थल को रिवर ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत किया गया है तथा सम्बन्धित स्थल से आर0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण हेतु नियमानुसार उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति–2016 यथा संशोधित–2018 के अनुसार समिति को खुली निलामी (Open Auction) कराते हुए उच्च बोलीकर्ता/सफल आवेदक चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः तहसील रानीखेत अन्तर्गत ग्राम चापड़, क्षेत्र स्यालीखेत में कोसी नदी के चैनेलाईज किये जाने हेतु उक्त स्थल पर आर0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण के लिये खुली निलामी (Open Auction) हेतु जनपद अल्मोड़ा के स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं से आवेदन पत्र दिनांक 27–05–2019 से दिनांक 03–06–2019 के पूर्वान्ह 10:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। तदोपरान्त सफल आवेदक के चयन हेतु दिनांक 03.06.2019 के पूर्वान्ह 11:00 बजे संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय रानीखेत में गठित समिति के सदस्यों के सम्मुख खुली निलामी (Open Auction) किया जायेगा।

खुली नीलामी हेतु चिन्हित क्षेत्र का विवरण व शर्तें निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	खुली निलामी हेतु चिन्हित स्थल का नाम	तहसील का नाम	नदी का नाम	आंकलित मात्रा	खसरा संख्या तथा क्षेत्रफल	आधार मूल्य
01	ग्राम चांपड़, क्षेत्र स्यालीखेत	रानीखेत	कोसी	4500 घनमीटर या 9900 टन	खसरा सं0 6085 रकबा 2.998 है0 मध्य 0.800 है0	3,96,000.00 (इसके अतिरिक्त नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 02 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत तथा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान 25 प्रतिशत देय होगें)

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.

1. आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो जिसके प्रमाण हेतु आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. खुली बोली हेतु आधार मुल्य का 25 प्रतिशत धनराशि अरनेस्ट मनी की धनराशि का ड्राफ्ट जिलाधिकारी अल्मोड़ा के नाम बंधक हो, प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. जनपद अन्तर्गत खनन का कोई बकाया ना होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. आवेदनकर्ता उत्तराखण्ड प्रदेश में किसी भी काली सूची में ना होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आवेदक का जी0एस0टी0 नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी।
6. आवेदक को बोली के दिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा, कोई भी प्रतिनिधि अथवा अन्य बोली में प्रतिभाग नही करेगा। इस स्थिति में आवेदक के उपस्थित ना होने के कारण, आवेदक निरस्त माना जायेगा।
7. आवेदनकर्ता बोली से पूर्व चिन्हित स्थल पर आर0बी0एम0 की मात्रा तथा पंहुच/निकासी मार्ग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही बोली में प्रतिभाग करें।
8. आर0बी0एम0 की निकासी हेतु निकासी मार्ग तथा किसी भी स्थानीय विवाद की स्थिति में सफल घोषित बोली धारक/चयनित सफल आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होगें।
9. सफल घोषित बोलीकर्ता को उच्च बोली गयी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि, तहसील रानीखेत में तत्काल जमा की जानी होगी।
10. सफल घोषित बोलीकर्ता को बोली गयी उच्च धनराशि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 02 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत तथा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में 25 प्रतिशत अंशदान जमा किये जाने होगें।
11. मलवे का निस्तारण यथा सम्भव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनो किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुए किया जायेगा।
12. नदी के जल स्तर से एक मीटर गहराई तक चुगान की अनुमति होगी।
13. आर0बी0एम0 चुगान की खुली निलामी के पश्चात नदी से मलवे के उठान की अनुमति उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति–2016 यथा संशोधित 2018 के अनुसार अधिकतम दो माह अथवा खनिज की अनुज्ञाप्त मात्रा हटाने की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, तक ही अनुमत होगी।
14. खुली बोली/निलामी की कार्यवाही को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अन्तिम निर्णय समिति के अध्यक्ष के अधीन होगा।

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रानीखेत।

तहसील रानीखेत के ग्राम चापड़, क्षेत्र स्यालीखेत अन्तर्गत वर्षाकाल में कोसी नदी में अधिक जल प्रवाहित होने से नदी के दोनो किनारों के ओर स्थित आबादी क्षेत्र तथा कृषि भूमि, बाढ़ के कारण भूकटाव से प्रभावित होने के दृष्टिगत उक्त स्थान पर कोसी नदी के मध्य भाग में चैनेलाइज करने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनहित में सुसंगत नियमों के तहत, उक्त स्थल को रिवर ट्रेनिंग हेतु निलामी की जानी है। उक्त हेतु विस्तृत सूचना जिलाधिकारी कार्यालय तथा जनपद की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.